

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकि एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2026/ 1659

दिनांक 19/02/2026

अतिआवश्यक-सूचना पत्र

19 FEB 2026

विषय :- वर्ष 2025-26 हेतु पिछडा वर्ग के नवीन प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सूचना पत्र।

संस्थान के पिछडा वर्ग प्रथम वर्ष 2025-26 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि MPTAAS पोर्टल पर पंजीयन किये जाने के पश्चात हार्ड कॉपी सहित निम्नलिखित दस्तावेज के साथ संलग्न करे :-

- 1) शासकीय सेवक हो तो विभाग द्वारा जारी वेतन सेलरी स्लिप विगत माह की) जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो। अगर माता-पिता दोनो शासकीय सेवक हो, तो दोनो की पे स्लीप जमा करना अनिवार्य है। जिनके माता-पिता व्यवसाय करते हो, वे इन्कम टेक्स रिटर्न 16, प्रायवेट सेवारत कर्मचारी/अधिकारी को नियोक्ता का वार्षिक अथवा मासिक आय प्रमाण पत्र।
- 2) विद्यार्थी ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु बैंक का नाम, बैंक खाता नम्बर, आय.एफ.एस.सी कोड की जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करे व खाता नम्बर को ऑन लाईन स्कालरशिप पोर्टल पर आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य। बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी विद्यार्थी की होगी।
- 3) प्रवेश के समय संस्था मे जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
- 4) प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी संलग्न करे।
- 5) विद्यार्थी अपना आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
- 6) पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप आवेदन पत्र पर अपना नवीन फोटो पेस्ट करे।
- 7) समस्त दस्तावेजो को स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
- 8) स्थयी जाति प्रमाण पत्र :- एस.डी. एम द्वारा जारी ही मान्य।
- 9) मूल निवसी प्रमाण पत्र।
- 10) एडमिशन स्लीप, शुल्क जमा का चालान, अॅलाटमेन्ट लेटर।
- 11) स्कालरशिप आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी 4(अ) 4(ब) 4(स) प्रोफार्मा आवश्यक रूप से भरकर देवे।

MPTAAS Portal पर विद्यार्थियों का हितग्राही पंजीयन Registration करने के पश्चात विद्यार्थी अपना ऑन लाईन आवेदन, समस्त दस्तावेजो के साथ दिनांक 13/03/2026 तक लेखा स्कालरशिप विभाग सेक्शन में शीघ्रातिशीघ्र जमा करे।

प्रतिलिपि :-

- 1) समस्त डीन/ समस्त विभागाध्यक्ष
- 2) निदेशक कार्यालय
- 3) रजिस्ट्रार कार्यालय
- 4) समस्त नोटिस बोर्ड/ होस्टल।
- 5) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक

83